



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका - बी संख्या - 351 वर्ष 2026

श्रीमती गीता देवी

याचिकाकर्ता(ओं)
बनाम

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् और 15 अन्य

.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	अभय राज यादव
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता	:	अचल सिंह, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री हरि मोहन श्रीवास्तव, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी-भूमि प्रबंधन समिति के विद्वान अधिवक्ता श्री अचल सिंह को सुना।

2. यह याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:

i. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पुनरीक्षण संख्या 4786/2025 में दिनांक 31.12.2025 को पारित आक्षेपित आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।"

ii. याचिकाकर्ता के विवादित भूमि पर शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने वाला परमादेश जारी किया जाए।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के तहत कार्यवाही में विचारण न्यायालय के आदेश के विरुद्ध दायर अपील में, मामले को विचारण न्यायालय के समक्ष पुनः भेज दिया गया है ताकि याचिकाकर्ता के प्लॉट संख्या 70 के दावे पर विधिवत विचार करते हुए कुरी तैयार किया जा सके। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि इस पुनः भेजे गए आदेश के विरुद्ध निजी प्रतिवादी द्वारा विलंबित पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी और राजस्व परिषद् ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना विलंब को क्षमा कर दिया तथा अंतरिम सुरक्षा प्रदान कर दी। उन्होंने आगे निवेदन किया कि राजस्व बोर्ड द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जाए और राजस्व बोर्ड को निर्देश दिया जाए कि वह विलंब क्षमा के मामले के साथ-साथ अंतरिम राहत के आवेदन पर भी पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद पुनः निर्णय ले।

4. राज्य के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता और भूमि प्रबंधन समिति के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पुनरीक्षण याचिका लंबित रहने के दौरान राजस्व बोर्ड द्वारा पारित विवादित आदेश के विरुद्ध किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि राजस्व बोर्ड ने विलंब को क्षमा कर दिया है जो अनुचित नहीं है और 500 रुपये का जुर्माना अदा किया गया है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि राजस्व बोर्ड ने आदेश के समर्थन में कारण दर्ज किए हैं, अतः विवादित आदेश के विरुद्ध किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता, भूमि प्रबंधन समिति के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का अध्ययन किया है।
6. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि निजी प्रतिवादी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका राजस्व बोर्ड/प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष लंबित है। इस तथ्य पर भी कोई विवाद नहीं है कि पुनरीक्षण याचिका दायर करने में हुई देरी को माफ कर दिया गया है और अंतरिम आदेश जारी कर दिया गया है।
7. अभिलेख की जांच से पता चलता है कि पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने में कोई अत्यधिक देरी नहीं हुई है और देरी को 500 रुपये के खर्च पर माफ कर दिया गया है, इसलिए न्याय के हित में यह आवश्यक है कि लंबित पुनरीक्षण याचिका का निर्णय दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद कानून के अनुसार किया जाए।
8. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का अंतिम निस्तारण करते हुए प्रतिवादी संख्या 1/ राजस्व बोर्ड, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया जाता है कि वह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत उपर्युक्त पुनरीक्षण संख्या 4786/2025 का निर्णय पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर करे।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय) 6

फरवरी, 2026
रमीज़

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"